"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च 2021 — फाल्गुन 18, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 (फाल्गुन 18, 1942)

क्रमांक-3924/वि. स./विधान/2021 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) जो मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2021)

बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में बन्दी अधिनियम, 1900 (केन्द्रीय अधिनियम 1900 का सं. 3) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा 31-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 31-क में, -

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द "इक्कीस" के स्थान पर, शब्द "बयालीस" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (3) में, -

(क) खण्ड (i) में, शब्द "दो" के स्थान पर, शब्द "तीन" प्रतिस्थापित किया जाए; तथा

(ख) खण्ड (ii) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "चौदह" प्रतिस्थापित किया जाए.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

यत:, बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) की धारा 31-क की उपधारा (1) के अंतर्गत पात्रता रखने वाले दंडित बंदियों को, एक वर्ष में 21 दिन से अनधिक कालावधि की छुट्टी की अवधि को 42 दिन किए जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन करने की आवश्यकता है, जिसमें अधिक समय तक परिवार के साथ रहने से, बंदी की मानसिक स्थिति एवं आचरण में सुधार होगा तथा वह पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए बेहतर अनुशासन के साथ रहकर जेल की सकारात्मक गतिविधियों में भाग ले सकेगा.

अतएव, बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 23 फरवरी, 2021

ताम्रध्वज साहू
जेल मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का सं.3) के धारा 31-क बंदियों के छुट्टी की मन्जूरी का सुसंगत उद्धरण :-

****

भाग 6-क
"बंदियों को छुट्टी और आपात छुट्टी"

31-क. **बंदियों को छुट्टी की मन्जूरी** - (1) राज्य सरकार या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करे, किसी ऐसे बन्दी को, जिसे कम से कम तीन वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, एक वर्ष में एक्कीस दिन से अनधिक कालावधि की छुट्टी, जिसमें वह समय सम्मिलित नहीं होगा जो कारागार के प्रस्थान के ठीक पश्चात् उसके अभ्यागम के प्रथम स्थान तक की और अभ्यागम के अंतिम स्थान से कारागार तक वापसी की यात्राओं के लिए अपेक्षित हो इस भाग के उपबन्धों के और ऐसी शर्तों के जैसी की विहित की जाय, अधीन मन्जूर कर सकेगा.

(3) किसी बन्दी को किसी वर्ष के दौरान उपधारा (1) के अधीन छुट्टी -

(i) दो से अधिक अवसरों के लिए अनुज्ञेय नहीं होगी,

(ii) दस दिन से कम की कालावधि के लिए अनुज्ञेय नहीं होगी, और

(iii) तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस वर्ष के दौरान ली गई अंतिम छुट्टी की समाप्ति तथा आवेदित छुट्टी के प्रारम्भ होने के बीच तीन मास की कालावधि व्यपगत न हो गई हो.

****

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.